राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर
राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर

साहित्यिक आदेश

कृषि विभाग के अधीन जल ग्रहण विभाग एवं भू-संरक्षण विभाग के लिये राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा निय-1978 के अन्तर्गत कत्ल. अभियंता (कृषि) सीटी मार्गी चयन बोर्ड-2015 की परीक्षा डिसेंबर 12.07.2015 को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा का परिणाम बोर्ड द्वारा डिसेंबर 22.07.2015- को जारी किया गया था। अस्थायी (Provisional) रूप से साफ़ घोषित अनुच्छेदों श्री अरोड़ा सिंह अन्य पिछला वर्ग का अस्थायी चयन निरस्त किये जाने के फलस्वरूप उसके स्थान पर आवश्यक सूची से निर्माण अनुच्छेद का अस्थायी (Provisional) रूप से चयन किया जाता है। अतः कत्ल. अभियंता (कृषि) सीटी मार्गी चयन बोर्ड-2015 में निम्नानुसार अस्थायी (Provisional) रूप से साफ़ घोषित अनुच्छेदों को सूचित किया जाता है कि नेत्र डिसेंबर 28.12.2015 को प्रातः 10:00 बजे केमेटी रूम, धर्मन तल, पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर-302005 पर पात्रता की जांच हेतु आवश्यक रूप से विस्तृत आवेदन (दो प्रतियों में) एवं मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होते।

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.स.</th>
<th>डिसेंबर</th>
<th>अवधारण का नाम और रोल नंबर</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>28.12.2015</td>
<td>Arjun Lal Sen Nai 100962</td>
</tr>
</tbody>
</table>

पात्रता की जांच हेतु उपस्थित होते समय निम्न वाक्यों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाये:—

1. विस्तृत आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की बेवसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर “अतिम चयन हेतु विस्तृत आवेदन सह परितिथियों प्रपत्र भरने हेतु आवेदन को से लिये आवश्यक निर्देश” एवं कत्ल.अभियंता पद के लिये डिसेंबर 24.03.2015 को जारी विज्ञापन का ध्यानांक अध्ययन करे।

2. विस्तृत आवेदन दो प्रतियों में अलग-अलग लिखा है। विस्तृत आवेदन की फॉर्माट प्रति स्वीकार नहीं की जाएगी।

3. शैक्षिक योग्यता, आयु, आवश्यक, जाति, विशेष योग्यता, विवाह, खेल, राज्यावास, सेवानिवृत्त होने संबंधी मूल प्रमाण-पत्र एवं दस्तावेज तथा स्वीकार के पहचान पत्र आवश्यक रूप से साथ लाये।

4. विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण-पत्रों एवं दस्तावेजों की स्वीकार प्रमाणित प्रति संलग्न करें।

5. अति समय वेट वेट आवेदन सह परितिथियों प्रपत्र भरने हेतु आवेदन के लिये आवश्यक निर्देश एवं विस्तृत आवेदन का प्रारूप मूल प्रपत्रों के बोर्ड की बेवसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

(आर्थ केन मीना)
अध्यक्ष
राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर
राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर

क्रमांक: प.14(7)RSMSSB/अर्थना/ कनि.अभि.(कृषि)/ 2015/392
दिनांक: 18.12.2015

कार्यालय आदेश

कृषि विभाग के अधीन जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग के लिये राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम-1978 के अन्तर्गत कनि. अभियवता (कृषि) सीधी भर्ती परीक्षा-2015 की परीक्षा दिनांक 12.07.2015 को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा का परिणाम बोर्ड द्वारा दिनांक 22.07.2015 को जारी किया गया था। परीक्षा में अस्थाई (Provisional) रूप से सफल घोषित अभ्यर्थी श्री अशोक सिंह का अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में चयन किया गया था। श्री अशोक सिंह की जाति जात है तथा वे भरतपुर जिले के निवासी हैं। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा रिट याचिका संख्या डीबीसीडब्ल्यू.एल. 6046/99 रतनलाल बागडी बनाम सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 10.08.2015 द्वारा भरतपुर एवं धौलपुर जिले की जात जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी घोषित किये जाने वाली अभियवता क्रमांक 459 दिनांक 10.01.2000 को निरस्त कर दिया गया है। अब भरतपुर एवं धौलपुर के जात जाति के अभ्यर्थियों को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आस्थान का लाभ देना नहीं है। उपरोक्त वरीयता कारण से श्री अशोक सिंह रोल नं. 101401 का कनिष्ठ अभियवता (कृषि) के यह पर किया गया अस्थाई चयन निरस्त किया जाता है।

(आरो को गीता)
अध्यक्ष

क्रमांक: प.14(7)RSMSSB/अर्थना/ कनि.अभि.(कृषि)/2015/333-34
दिनांक: 18.12.2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
2. प्रमाणी अधिकारी, आई.टी. अनुभाग को भेजकर लेख है कि उक्त कार्यालय आदेश को बोर्ड की बेबुसाइट पर अपलोड करें।

जीविव